

प्रेषक

सच्चिदानंद चौधरी
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक - 19.03.2018

विषय :- शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102 होमियोपैथी-0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड- 20-2210051020001 मांग पत्र संख्या-20 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में विभिन्न इकाईयों में तृतीय अनुपूरक से उपबंधित राशि कुल 1,52,31,000/- (एक करोड़ बावन लाख इकतीस हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उप शीर्ष अंतर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए कुल- 1,52,31,000/- (एक करोड़ बावन लाख इकतीस हजार) रुपये मात्र के आवंटन की स्वीकृति (विवरणी संलग्न)।

2. संबंधित आवंटनादेश से वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि०(2) दिनांक-17.4.1998 एवं राज्यादेश संख्या-428/वि० दिनांक 31.03.2017 एवं वित्त विभागीय पत्रांक 3002/वि० दिनांक-26.4.2017 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग सं० 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-102 होमियोपैथी-0001 होमियोपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर विपत्र कोड- 20-2210051020001 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट उपबंध से की जायेगी।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय आर०बी०टी०एस० होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर तथा नियंत्री पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस आवंटनादेश से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में देय बकाया का विधिवत जाँच कर सर्वप्रथम बकाया वेतनादि भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आवंटित राशि से दवा एवं अन्य सामग्री का क्रय संबंधित कार्य देशी चिकित्सा निदेशालय के पत्रांक 156 (दे०चि०) दिनांक 12.02.99 एवं 801 (दे०चि०) दिनांक 28.11.2002 एवं समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करवा हुए किया जायेगा।

8. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन एवं उनका सदुपयोग करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9. इस आवंटनादेश से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात ही स्वयं अपने वेतन की निकासी करेंगे।

10. अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में उपबंधित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् उसमें निहित शर्त के अनुसार ही किया जायेगा।

11. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह फरवरी 2018 तक के लिए नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित के पश्चात ही बकाया वेतनादि का भुगतान किया जायगा।

12. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से पूर्व में निर्गत आवंटन के अतिरिक्त यह आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

13. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप सं०-

50 व' (आ.चि.)

पटना, दिनांक - 19.03.2018

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वा० के निजी सहायक/ प्राधिकृत पदाधिकारी, आयुष निदेशालय/ आयुष निदेशालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

की

0001 होमियोपैथिक कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, वित्तीय वर्ष 2017-18

क्रम सं.	प्राथमिक इकाईयां	कोड	उपबंध	तृतीय अनुपूरक की राशि	कुल उपबंध	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
1.	2	3	4			5	6	7	8
1	वेतन	01 01	16423000	10371000	26794000	16423000	10371000	26794000	0
2	जीवन यापन भत्ता	01 03	21514000	1000000	22514000	21514000	1000000	22514000	0
3	मकान किराया भत्ता	01 04	1643000	108000	1751000	1643000	108000	1751000	0
4	परिवहन भत्ता	01-05	0	271000	271000	0	271000	271000	0
4	चिकित्सा भत्ता	01 06	135000	199000	334000	135000	199000	334000	0
5	अन्य भत्ता	01 07	17000	0	17000	17000	0	17000	0
	योग (वेतन एवं भत्ता)		39732000	11949000	51681000	39732000	11949000	51681000	0
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	06 01	100000	0	100000	100000	0	100000	0
7	यात्रा व्यय	11 01	100000	100000	200000	100000	100000	200000	0
8	कार्यालय व्यय	13 01	900000	0	900000	900000	0	900000	0
9	वाहन का इंधन एवं रख-रखाव	13 02	50000	0	50000	50000	0	50000	0
10	दूरभाष	13 03	20000	0	20000	20000	0	20000	0
11	विद्युत प्रभार	13 04	900000	0	900000	900000	0	900000	0
12	वर्दी पोशाक	13 06	40000	0	40000	40000	0	40000	0
13	किराया म0 एवं कर	14 01	300000	0	300000	300000	0	300000	0
14	प्रशिक्षण व्यय	20 03	0	0	0	0	0	0	0
15	सामग्री एवं पूर्तियां	21 01	700000	0	700000	700000	0	700000	0
16	दवा भंडार	21 02	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000	0
17	आहार एवं पथ्य	21 03	600000	0	600000	600000	0	600000	0
18	लघु कार्य	27 01	1000	0	1000	1000	0	1000	0
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत	27 02	5000000	0	5000000	5000000	0	5000000	0
20	संविदा सेवायें	28 02	15400000	3182000	18582000	15400000	3182000	18582000	0
21	छात्रवृत्ति / वजीफा	34 01	3600000	0	3600000	3600000	0	3600000	0
22	मशीन एवं उपस्कर	52 01	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000	0
	योग		70443000	15231000	85674000	70443000	15231000	85674000	0

(एक करोड़ बावन लाख एकतीस हजार) रू० मात्र

50'9' आ.चि.
19.03.2018

सरकार के विशेष सचिव
19/3/18